

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 489/2024  
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

1. गुरमीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. खालक पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. फलकशेर पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. मोहम्मद तुफैल पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. वलीमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. नूरहसन पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. मीरा देवी सहू पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 8 डी.एल.पी. धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. अमीना पत्नी नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. गुरपाल सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. बलकार सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. सुबासादक पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
15. अल्लाबक्श पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
16. अल्लादिता पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
17. फाता बीबी पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
18. ऐसा बीबी पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
19. इमामसैन पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
20. नूरअलाई पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
21. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से  
प्रतिवादी की ओर से

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट  
:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक



08.2024  
लगातार --2

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

वादी निर्मल सिंह ने प्रतिवादीगण गुरमीत सिंह वगैरा के विरुद्ध किया कि यह कि वादी के नाम से खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.508 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 20 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 20 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 20 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई। इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 20 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 17 ता 20 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के मध्य हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 17 ता 20 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादी निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

(ख) 133/202 31 21,22/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि  
वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 क्रमशः निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह(1.518 है.),  
गुरमीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख  
निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व  
हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है.,  
6/2/0.025 है., 15/1/0.228 15/2/0.025 है.

133/202 31 11,12,13,18,19,20,23/0.253 है.प्र.  
कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 ता 7 क्रमशः खालक पुत्र नूर मोहम्मद, फलक शेर पुत्र नूर  
मोहम्मद, मोहम्मद तुफैल पुत्र नूर मोहम्मद, मोहम्मद रमजान पुत्र नूर  
मोहम्मद, वली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद व हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद  
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 5/1/0.151 है., 5/2/0.008 है., 6/1/0.153 है.,  
6/2/0.017 है., 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,  
15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
17,18,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है.,  
25/2/0.025 है.,

133/204 45 2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
कुल 3.871 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 2 ता 5 व 7 क्रमशः खालक, फलक शेर, मोहम्मद तुफैल,  
मोहम्मद रमजान, हुसैन मोहम्मद पुत्रगण नूरमोहम्मद समस्त जाति मुसलमान  
निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व  
हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/203 32

(इ) प्रतिवादी सं. 8 नूरहसन पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/203 32

प्रतिवादी सं. 9 मीरा देवी सह पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 8 डी. एल.पी. धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/202 31

(छ) प्रतिवादी सं. 10 अमीन पुत्र नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/203 32

(ज) प्रतिवादी सं. 11 व 12 क्रमशः गुरपाल सिंह व बलकार सिंह पुत्रगण श्री नक्षत्र सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/202 30

132/203 33 23/0.253 है.  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है.,  
5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.  
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(झ) प्रतिवादी सं. 13 सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
132/202 30

24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.  
कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ञ) प्रतिवादी सं. 14 ता 16 क्रमशः सुबासादक, अल्लाबवश व अल्लादिता पुत्रगण स्व. अब्दुल सलाम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/202 31

14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

133/203 32 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,  
कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 20 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 20 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीजेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 20 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 21 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 व चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 20 सांझा खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 20 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 20 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.508 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 9 एम.एम.के. के खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 20 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 20 सांझा खाता के काशतकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:: क्रियात्मक आदेश ::-**

- अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-
- (क) वादी निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
133/202 31 21,22/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि
- (ख) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 क्रमशः निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह(1.518 है.), गुरमीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

महायुक्त केप्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है.,  
6/2/0.025 है., 15/1/0.228 15/2/0.025 है.  
133/202 31 11,12,13,18,19,20,23/0.253 है.प्र.  
कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 ता 7 क्रमशः खालक पुत्र नूर मोहम्मद, फलक शेर पुत्र नूर मोहम्मद, मोहम्मद तुफैल पुत्र नूर मोहम्मद, मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद, वली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद व हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 5/1/0.068 है., 5/2/0.008 है., 6/1/0.228 है.,  
6/2/0.017 है., 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,  
15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
17,18,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है.,  
25/2/0.025 है.,  
133/204 45 2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
कुल 3.871 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 2 ता 5 व 7 क्रमशः खालक, फलक शेर, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद रमजान, हुसैन मोहम्मद पुत्रगण नूरमोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,  
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.  
कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 8 नूरहसन पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 5/1/0.134 है., 5/2/0.043 है.,  
7,8/0.253 है.प्र.  
कुल 0.683 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 9 मीरा देवी सह पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 8 डी. एल.पी. धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/202 31 1,2/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,  
7ता10/0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 10 अमीन पुत्र नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-


चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 9,10/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 11 व 12 क्रमशः गुरपाल सिंह व बलकार सिंह पुत्रगण श्री नक्षत्र सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

लगातार --6

महायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 23/0.253 है.

132/203 33 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है.,  
5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.

कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(इ)

प्रतिवादी सं. 13 सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 14 ता 16 क्रमशः सुबासादक, अल्लाबक्श व अल्लादिता पुत्रगण स्व. अब्दुल सलाम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/202 31 14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

133/203 32 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 489/2024

निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. गुरमीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. खालक पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
3. कलकशेर पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. मोहम्मद तुफैल पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. वलीमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. नूरहसन पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
9. मीरा देवी सह पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 8 डी.एल.पी. धोलीपाल  
तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. अमीना पत्नी नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)
11. गुरपाल सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. बलकार सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. सुबासादक पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. अल्लाबक्श पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. अल्लादिता पुत्र स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. फाता बीबी पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. ऐसा बीबी पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. इमामसैन पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. नूरअलाई पुत्री स्व. अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.8.2024  
लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन  
जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-  
वादी निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/202 31 21,22/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि  
वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 क्रमशः निर्मल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह(1.518 है.), गुरमीत  
कौर पत्नी श्री सोहन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण  
:-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/202 30 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है.,  
6/2/0.025 है., 15/1/0.228 15/2/0.025 है.  
133/202 31 11,12,13,18,19,20,23/0.253 है.प्र.

कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
प्रतिवादी सं. 2 ता 7 क्रमशः खालक पुत्र नूर मोहम्मद, फलक शेर पुत्र नूर मोहम्मद,  
मोहम्मद तुफैल पुत्र नूर मोहम्मद, मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद, वली मोहम्मद  
पुत्र नूर मोहम्मद व हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद समस्त जाति मुसलमान  
निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की  
कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 5/1/0.151 है., 5/2/0.008 है., 6/1/0.153 है.,  
6/2/0.017 है., 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,  
15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
17,18,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है.,  
25/2/0.025 है.,

133/204 45 2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
कुल 3.871 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 ता 5 व 7 क्रमशः खालक, फलक शेर, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद  
रमजान, हुसैन मोहम्मद पुत्रगण नूरमोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण  
किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि  
का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,  
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.  
कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 8 नूरहसन पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 5/1/0.051 है., 5/2/0.043 है., 6/1/0.075 है., 6/2/0.008 है.  
7,8/0.253 है.प्र.  
कुल 0.683 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 9 मीरा देवी सहू पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 8 डी.एल.पी.  
धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का  
विवरण :-

चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --3

महायक कोषाध्यक्ष एच  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

133/202 31 1,2/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,  
7ता10/0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
प्रतिवादी सं. 10 अमीन पुत्र नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/203 32 9,10/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि  
प्रतिवादी सं. 11 व 12 क्रमशः गुरपाल सिंह व बलकार सिंह पुत्रगण श्री नक्षत्र सिंह  
समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 23/0.253 है.  
132/203 33 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है.,  
5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.  
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
प्रतिवादी सं. 13 सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का  
विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 10/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/202 30 24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.  
कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
प्रतिवादी सं. 14 ता 16 क्रमशः सुबासादक, अल्लाबक्श व अल्लादिता पुत्रगण स्व.  
अब्दुल सलाम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-  
चक 9 एम.एम.के. खाता सं. 28/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/202 31 14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.  
133/203 32 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,  
कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ...../..... निल ...../..... मुब्लिक ...../..... निल ...../..... बाबत ...../.....  
निल...../..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक ...../.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया